F.D.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवराज मीणा, आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0:–58 / दावा / 2022 ता0 रजू 20.06.2022

GCMS ID–2022 / 89

उनवान

1. नृसिंह योगी आ0 प्रतापनाथ जाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
2. अनिरूद्ध योगी आ0 नृसिंह योगी जाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
3. हर्षित योगी आ0 नृसिंह योगी जाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. दुर्गालाल आ0 प्रतापनाथ जाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नवीन आ0 रतनलाल जी द्वारा प्राकृतिक संरक्षक माता ममता पत्नी रतन जाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मीनाक्षी पुत्री रतन जाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
4. ममता पत्नी रतन जाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
5. महावीर पुत्र प्रतापनाथजाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
6. राजेश पुत्र शंभुनाथजाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
7. सोना पुत्री शंभुनाथजाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
8. रमेश पुत्र हरजीनाथजाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
9. सुनिता पुत्रीहरजीनाथजाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
10. अनितापुत्रीहरजीनाथजाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
11. निशा पुत्रीहरजीनाथजाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
12. कैलाशी पत्नीहरजीनाथजाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
13. अंकित पुत्र दुर्गालालजाति नाथ निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
14. मोहनी पत्नी बद्रीलाल जाति मीणा नि0 बटखेडी इटून्दा तह0 जहाजपुर जिला भीलवाडा।
15. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात

उपस्थितः–
श्री चन्द्रप्रकाश जैन अधि0 वादी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी 1 से 14

आदेश

दिनांकः–26.02.2026

वादी का मुख्य रूप से कथन है कि जमाबंदी सम्वत 2076–79 वाके ग्राम हिण्डोली के खाता संख्या 1013 खसरा संख्या 2618 रकबा 0.2428 हैक्टेयर स्थित है। जिसके खातेदार वादी का हिस्सा 8 / 891 एवं प्रतिवादी क्रम 1 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

5/33, प्रतिवादी क्रम संख्या 1 से 4 प्रत्येक का हिस्सा 5/99 प्रतिवादी क्रम संख्या 5 का हिस्सा 5/33, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 17/132 प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/44 लगायत 7 एवं हरजी नाथ आ0 प्रतापनाथ मृतक जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का संयुक्त हिस्सा 5/33 एवं प्रतिवादी संख्या 14 हिस्सा 208/891 नाम खातेदार के रूप में अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2076–79 वाके ग्राम हिण्डोली के खाता संख्या 913 खसरा संख्या 2627 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 6372/1508 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 6848/2616 रकबा 0.3056 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4594 स्थित है। जिसमें खातेदार के स्थान पर प्रतिवादी क्रम संख्या 13 का हिस्सा 5/33, प्रतिवादी क्रम संख्या 2 से 4 प्रत्येक का हिस्सा 5/99, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 5/33, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 17/132, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/44 और वादी नृसिंह का हिस्सा 8/33 एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का संयुक्त हिस्सा 5/33 खातेदार के रूप में अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2076–79 वाके ग्राम हिण्डोली के खाता संख्या 912 खसरा संख्या 6296/2609 रकबा 0.9712 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें खातेदार के स्थान पर वादी का हिस्सा 8/33 एवं प्रतिवादी संख्या 13 का हिस्सा 5/33, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक का हिस्सा 5/99 एवं प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 5/33, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 17/132, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/44 हरजीलाल (मृतक) जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का प्रत्येक का 5/33 खातेदार के रूप में नाम अंकित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 से 3 में वर्णित कृषि भूमिया शामलाती है विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है आपसी सहमति से पक्षकारों ने काश्त की सुविधा के हिसाब से हिस्से कर रखे है और हिस्से अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वादी का हिस्सा 8/891 जिसमें वादी अपने हिस्से अनुसार दक्षिणी साईड पर काबिज है एवं वादपत्र की चरण संख्या 2 में वादी का हिस्सा 8/33 जिसमें उत्तरी साईड पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है एवं वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियों वादी अपने हिस्सा 8/33 जिसमें दक्षिणी साईड पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादपत्र की चरण संख्या 1 से 3 में भूमियों का विधिवत बंटवारा नहीं होने कारण वादी अपने हिस्से की कृषि भूमियो में सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है ओर उसे भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 1 से 3 में वर्णित कृषि भूमियों में निहित अपने हिस्से का विधिवत बंटवारा करवाकर जो भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उसके हिस्से में आये उसे स्वतंत्र रूप से अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 से कई बार अपना हिस्सा बंटवारा करवाकर अपने नाम कराने के लिए निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण सहमत नहीं है। अंतिम बार वादी ने मई 2022 के प्रथम सप्ताह में कहा लेकिन प्रतिवादीगण इंकार हो गये। यही वाद कारण है। वाद कारण प्रतिवादीगण से लगातार बंटवारा करने के लिए कहने व अंतिम बार मई 2022 प्रथम सप्ताह में कहने व प्रतिवादीगण के इंकार करने पर लगातार उत्पन्न हो रहा है अतः वादपत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रतिवादी क्रम संख्या 15 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे तकमीली पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र के चरण संख्या 1 से 3 में वर्णित कृषि भूमिया ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है इसलिए श्रीमान को यह दावा सुनने का अधिकार प्राप्त है। वाद का मुल्यांकन 10000/–रू निश्चित किया जाता है जिसकी निश्चित कोर्ट फीस एवं उचित तलबाने पर यह दावा पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री वाद व्यय सहित प्रदान की जावे। वादपत्र की चरण संख्या 1 से 3 में वर्णित कृषि भूमियों का विधिवत बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सानुसार जो भी वादी के बंटवारे में आवे उसे स्वतंत्र रूप से वादी के नाम खातेदारी में अंकन फरमाया जावे एवं बंटवारे में कब्जे वाली भूमि को वादी के हिस्से में दिया जावे किसी कारणवश हिस्से में चली आ रही भूमि को बंटवारे में नहीं दिया जावे। तो जो भूमि वादी के बंटवारे में आये उसके अनुसार कब्जे में रदोबदल फरमाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने अधिकारी हो दी जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण नं. 01 ल0 14 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा स्वीकारात्मक जबाव अंकित किया गया है। प्रतिवादीगण नं. 01 ल0 14 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नहीं की गई है।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 1013, 912, 913, सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली पेश किये एवं वादीका शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह दर्ज किये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बहस वकील वादीगण सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीअपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांक :– 09.01.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/26/39 दिनांकः– 02.01.2026 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0स0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. अनिरूद्ध योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 1/2 2. हर्षित योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 1/2 **खाता संख्या–9**	6296/2609/2	0.2354

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	योग	किता– 1	0.2354
2.	1. अंकित पुत्र दुर्गालाल जाति नाथ हिस्सा 147/736 2. ना0बा0 नवीन पुत्र रतन संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 49/736 3. ममता पत्नी स्व0 रतन हिस्सा 49/736 4. महावीर पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 147/736 5. मीनाक्षी पुत्री रतन हिस्सा 49/736 6. राजेश पुत्र शम्भूलाल हिस्सा 126/736 7. सोना पुत्री शम्भूलाल हिस्सा 22/736 8. हरजीलाल पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 147/736 जाति बाबाजी सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–9**	6296/2609/1	0.7358
	योग	**किता– 1**	**0.7358**
3.	1. अनिरूद्ध योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 1/2 2. हर्षित योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 1/2 **खाता संख्या–10**	2627/2	0.0333
	योग	**किता– 1**	**0.0333**
4.	1. अंकित पुत्र दुर्गालाल जाति नाथ हिस्सा 208/1043 2. कालू खॉ पुत्र नन्हे खॉ जाति मुस0 हिस्सा 68/1043 सा0 बून्दी। 3. ना0बा0 नवीन पुत्र रतन संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 69/1043 जाति नाथ। 4. ममता पत्नी स्व0 रतन हिस्सा 35/1043 जाति नाथ। 5. महावीर पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 208/1043 जाति नाथ। 6. मीनाक्षी पुत्री रतन हिस्सा 35/1043 जाति नाथ। 7. राजेश पुत्र शम्भूलाल हिस्सा 32/1043 जाति नाथ। 8. सोना पुत्री शम्भूलाल हिस्सा 32/1043 जाति नाथ। 9. हरजीलाल पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 208/1043 जाति नाथ सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–10**	2627/1	0.1043
	योग	**किता– 1**	**0.1043**
	1. अंकित पुत्र दुर्गालाल जाति नाथ हिस्सा 5/33 2. अनिरूद्ध योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 4/33 3. कालू खॉ पुत्र नन्हे खॉ जाति मुस0 हिस्सा 4/33 सा0 बून्दी।	5372/1508	0.0162

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	4. ना0बा0 नवीन पुत्र रतन संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 5/99 जाति नाथ। 5. ममता पत्नी स्व0 रतन हिस्सा 1/39 जाति नाथ। 6. महावीर पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 5/33 जाति नाथ। 7. मीनाक्षी पुत्री रतन हिस्सा 1/39 जाति नाथ। 8. राजेश पुत्र शम्भूलाल हिस्सा 17/132 जाति नाथ। 9. सोना पुत्री शम्भूलाल हिस्सा 1/44 जाति नाथ। 10. हरजीलाल पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 5/33. जाति नाथ 11. हर्षित योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 4/33 सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–10**		
	योग	**किता– 1**	**0.0162**
6.	1. अनिरूद्ध योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 1/2 2. हर्षित योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 1/2 **खाता संख्या–11**	6848/2616/2	0.0740
	योग	**किता– 1**	**0.0740**
7.	1. अंकित पुत्र दुर्गालाल जाति नाथ हिस्सा 463/2316 2. कालू खॉ पुत्र नन्हे खॉ जाति मुस0 हिस्सा 151/2316 सा0 बून्दी। 3. ना0बा0 नवीन पुत्र रतन संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 77/1158 जाति नाथ। 4. ममता पत्नी स्व0 रतन हिस्सा 78/2316 जाति नाथ। 5. महावीर पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 27/772 जाति नाथ। 6. मीनाक्षी पुत्री रतन हिस्सा 13/386 जाति नाथ। 7. राजेश पुत्र शम्भूलाल हिस्सा 131/772 जाति नाथ। 8. सत्यभगवान पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर हिस्सा 95/118 सा0 तुम्बीपुरा जैतपुर तह0 नैंनवा। 9. सोना पुत्री शम्भूलाल हिस्सा 23/772 जाति नाथ। 10. हरजीलाल पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 463/2316 जाति नाथ सा0 देह खातेदार। 11. फूलमती पत्नी अनिल कुमार चौधरी हिस्सा 35/561 **खाता संख्या–11**	6848/2616/1	0.2316
	योग	**किता– 1**	**0.2316**
	1. अनिरूद्ध योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 4/891	2618/1	0.2428

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	2. दुर्गालाल पुत्र प्रतापनाथ जाति नाथ हिस्सा 5/33 3. ना0बा0 नवीन पुत्र रतन संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 5/99 जाति नाथ। 4. ममता पत्नी स्व0 रतन हिस्सा 5/99 जाति नाथ। 5. महावीर पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 5/33 जाति नाथ। 6. मीनाक्षी पुत्री रतन हिस्सा 5/99 जाति नाथ। 7. मोहनी पत्नी बद्रीलाल जाति मीणा हिस्सा 208/891 सा0 भटखेडी इटून्दा तह0 जहाजपुर, भीलवाडा। 8. राजेश पुत्र शम्भूलाल हिस्सा 17/132 जाति नाथ। 9. सोना पुत्री शम्भूलाल हिस्सा 1/44 जाति नाथ। 10. हरजीलाल पुत्र प्रतापनाथ हिस्सा 5/33 जाति नाथ 11. हर्षित योगी पुत्र नृसिंह जाति नाथ हिस्सा 4/891 सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–45**		
	योग	किता– 1	0.2428

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का नायब तहसीलदार, दबलाना मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/02/2026
(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली